

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2253/231

दिनांक:27.09.2023

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बारु सिंह,
ग्राम व पोस्ट नन्दी, जनपद सहारनपुर,
सहारनपुर, उ. प्र. (मो. न. 8394014521)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2023 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2023 के तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना चाही है । इस अनुसार आपको अपनी आर. टी. आई प्रार्थना पत्र में लिखा है कि एक बडी लाईन जो ग्राम नन्दी से होते हुए चण्डीगढ देहरादून हाईवे के ऊपर से क्रॉस हुई है पावरग्रिड के रिकार्ड अनुसार यह 132 के. वी. D/C जगाधरी -टपरी पारेषण लाइन है जो कि DFCCIL की लाईन है और पावरग्रिड इस लाईन को परामर्श (Consultancy) के अंतर्गत/आधार पर बना रही है । आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्न है:

क्रम सं०	मांगी गयी जानकारी	पावरग्रिड द्वारा बिंदुवार जानकारी
1	आपके द्वारा जो लाइन बनाई जा रही है उसमे नन्दी मु० मे स्थित कुछ किसानो की भूमि के ऊपर से लाइन गुजरी है व इन किसानो का कितने क्षेत्रफल का मुआवजा दिया गया है।	आपके द्वारा दी गयी सूची मे क्रमांक संख्या A, B तथा E पर उल्लेखित किसान ही 132 केवी D/C जगाधरी-टपरी पारेषण लाइन निर्माण मे प्रभावित हुये है। इन किसानो के खसरा संख्या 31(1.106 हे) व 32 (0.943 हे०) के ऊपर से होकर पारेषण लाइन गयी है। उपरोक्त खेतो मे 27 मीटर लाइन कोरोडोर मे खड़े वृक्षो का पातन किया गया है, जिसका मुआवजा प्रभावित किसानो को दिया गया है।
2	इन किसानो को अलग अलग कितनी धनराशि मुआवजे के रूप मे दी गयी है।	प्रभावित किसानो को पेड़ो के नुकसान की प्रतिपूर्ति मे दी गयी मुआवजा राशि निम्न है- (A) रफल सिंह पुत्र श्री दलमीर सिंह - Rs.5,60,954/- (B) सुखबीर सिंह पुत्र श्री दलमीर सिंह - Rs.5,60,954/- (C) सर्वेश कुमार पुत्र श्री कंवर पाल सिंह- Rs.1,70,595/-

...2



3.	इन किसानों को कितने पेड़ों का मुआवजा दिया गया है, तथा वे पेड़ किस-2 चीज के थे व उन पेड़ों की क्या उम्र थी।	क्षति ग्रस्त पेड़ों की संख्या एवं उम्र निम्न है		
		क्र०स०	नाम	क्षति ग्रस्त पेड़ों की संख्या एवं उम्र
		(A)	रफल सिंह पुत्र श्री दलमीर सिंह	यूकेलिपटस - 18(4-6 वर्ष) पोपुलर- 154 (3-5 वर्ष)
		(B)	सुखबीर सिंह पुत्र श्री दलमीर सिंह	यूकेलिपटस - 18(4-6 वर्ष) पोपुलर- 154 (3-5 वर्ष)
(E)	सर्वेश कुमार पुत्र श्री कंवर पाल सिंह	पोपुलर- 85 (3-5 वर्ष)		
4.	बिंदु न.4 (A to F) के द्वारा मांगी गई जानकारी के उपरोक्त बिंदु न. 1, 2 एवं 3 के अनुसार है।			

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[जी. पी. पयासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002